आर0के0विश्वकर्मा

आई0पी0एस0

परिपत्र संख्या: 13 /2023

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ–226010
दिनॉक: अप्रैल 7 ,2023

विषयः- अपराध कारित कर विदेश भाग जाने एवं विदेश में निवास कर रहे नागरिकों पर Letters Rogatory/Mutual Legal Assistant Request संबंधी कार्यवाही गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित MLAT Portal के माध्यम से किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के पश्चात विदेश भागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस ओर सतर्क दृष्टि रखे जाने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा MLAT Portal विकसित किया गया है, जिसमे अपराध कारित कर विदेशों में निवास कर रहे नागरिकों पर सम्मन/नोटिस/न्यायिक कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के तामीला एवं सत्यापन/लुक आउट परिपत्र/रेड नोटिस तथा अपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (Letter Rogatory/Mutual Legal Assistance Request) हेतु समस्त कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- ऐसे समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को Interpol Liaison Officer (ILO) नामित किया गया है। ILO द्वारा समस्त कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर पुलिस उपायुक्त एवं जनपद प्रभारी को Controlling Officer (CO) नामित करते हुये User ID जनरेट की जा चुकी है, जिसका पासवर्ड e-mail ID का ही पासवर्ड होगा। Controlling Officer (CO) द्वारा MLAT Portal पर जनपद के समस्त थानों/विवेचना शाखा की User ID Create की जायेगी । इनीशिएटिंग/इन्वेस्टीगेशन आफिसर (IO) द्वारा इन ID के माध्यम से Letter Rogatory/Mutual Legal Assistance Request and Service of Summons के संबंध में आनलाइन प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

MLAT पोर्टल पर Investigation Officer/Initiating Officer (IO) profile create करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत है:-

- MLAT पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए पोर्टल लिंक https://mlat.mha.gov.in का उपयोग करेंगे।
- कन्ट्रोलिंग आफिसर (CO) के Login Credentials द्वारा लॉगिन करने के उपरान्त CO लॉगिन पैनल प्रदर्शित होगा ।
- CO लॉगिन पैनल पर User Management आप्शन पर क्लिक करने पर Create User आप्शन प्रदर्शित होगा ।
- Create User आप्शन पर क्लिक करने पर Create IO का Form प्रदर्शित होगा, जिसे भरने पर Investigation Officer/Initiating Officer (IO) की profile create हो जायेगी ।

उपरोक्तानुसार इण्टरपोल सम्बन्धी कार्यवाहियों यथा-सम्मन, नोटिस और अन्य न्यायिक दस्तावेजों के तामीला/सत्यापन आदि MLAT Portal (https://mlat.mha.gov.in) के माध्यम से ही सम्पादित की जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित User manual/ guidelines का अवलोकन किया जा सकता है।

3- उक्त के अतिरिक्त अपराध कारित कर विदेशों में रहने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं NBW के तामीला से संबंधित प्रकरणों में यह ध्यान देने योग्य है कि **"भारत में मुकदमे के लिए वांछित और वर्तमान में विदेश में रहने वाले आरोपी व्यक्ति के मामले में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया अपनाई जाती है।"** विदेश मंत्रालय (MEA) भारत सरकार ने प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश/गाइड लाइन जारी की है,जो उनकी वेबसाइट https://mea.gov.in/extraditionguidelines.htm पर उपलब्ध हैं।

अतः ऐसे प्रकरणों में उक्त सन्दर्भित वेबसाइट पर उपलब्ध गाइड लाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियुक्त के **प्रत्यर्पण** का विधिनुरूप औपचारिक प्रस्ताव/अनुरोध पत्र अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक(अपराध),नोडल अधिकारी(इण्टरपोल) को प्रेषित किया जाना चाहिये। प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार किये जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के **परिपत्र संख्याः5/2020 दिनांकित 28.01.2020** के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रों (दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन) का संकलन पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें प्रत्यर्पण अनुरोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया उपलब्ध है।

4- अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर उपलब्ध User manual/guidelines का गहनता से अध्ययन कर तद्नुसार अधीनस्थ Investigation Officer/ Initiating Officer (IO) की Profile Create कर उनका समुचित मार्ग-दर्शन करते हुये इण्टरपोल सम्बन्धी कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करायें। **प्रत्यर्पण** से संबंधित प्रकरणों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) नोडल अधिकारी(इण्टरपोल) को प्रेषित किया जायेगा ।

MLAT Portal पर किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अपराध शाखा के Interpol Cell से सीयूजी नं0-9454405114 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(signature) 7/5/21

(आर0के0विश्वकर्मा)

समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4-पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश ।